

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL



Entered in Notary Register  
At Serial No. 287  
Dated 01/9/23

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप - अ)

GH 578889

2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

हम उपेन्द्र सिंह एवं मनोज सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सदस्य राजकिशोर सिंह महाविद्यालय बरहम, समुदाय, मुरादाबाद, गज़िपुर (उ०प्र०) निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा राजकिशोर सिंह महाविद्यालय बरहम, समुदाय, मुरादाबाद, गज़िपुर (उ०प्र०) द्वारा डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के ना राजकिशोर सिंह महाविद्यालय बरहम, समुदाय, मुरादाबाद, गज़िपुर (उ०प्र०) में प्लॉट संख्या 997, 1013 एवं 0.999 हे० भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी दादा किसी भी संस्था के द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के प्लॉट संख्या 997, 1013 एवं 0.999 हे० पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट के द्वारा दिनांक 02.12.2018 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रसंगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संवर्धन हेतु हमारे द्वारा निर्मित समुदाय नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं प्लॉट पर निर्मित या निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के विद्यमान अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।

यह कि इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राधिकृत शिक्षण प्रोग्राम ही सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

NOTARY

.h.-Zamania, Distt.-Ghazipur (U.P.)



9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/ परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा भानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

मनीष सिंह

*(Signature)*

ह० अध्यक्ष

इपेंद्र सिंह

*(Signature)*

